कमिश्नर वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश

उपस्थितः- श्री दीपक कुमार ,कमिश्नर वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी :- **सर्वश्री श्रेया टाइल्स ,11 शाहनजफ रोड,लखनऊ ।**

प्रा0प0सं0- **268/2008**

प्रार्थी की ओर से- श्री जलज चतुर्वेदी,एडवोकेट।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008की धारा-59 के अर्न्तगतनिर्णय

1- प्रार्थी के द्वारा पूर्व में दिनांक 4-3-2008 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008 की धारा-59 के अर्न्तगत एक प्रार्थना प्रस्तुत किया गया था जिसमें सीमेन्ट कंकरीट टाइल्स /बिक्स पर कर की दर की जानकारी चाही गयी थी । कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा अपने आदेश दिनांक 24-3-08 में उक्त वस्तुओं पर अवर्गीकृत वस्तु की भांति अनुसूची-5 के अन्तर्गत 12.5प्रतिशत की दर से कर देयता निर्धारित की गयी थी । प्रार्थी के द्वारा पुनः धारा-59 के अर्न्तगत एक प्रार्थना दिनांक 30-5-08 को प्रस्तुत किया गया जिसमें उल्लेख किया गया है कि H.S.N. code No. 68101190 में निम्न प्रविष्टि अंकित है :-

Articles of cement , of concrete or of artificial stone wether or not reinforcrd - cement and RCC pipes .

इस पर 4 प्रतिशत की दर से करदेयता होने का उल्लेख किया है। आदेश दिनांक 24-3-08 को संशोधित करने की प्रार्थना की गयी है।

2- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु श्री जलज चतुर्वेदी ,एडवोकेट उपस्थित हुये और उनके द्वारा धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराया गया ।

3- मैनें व्यापारी के धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों व विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का अवलोकन किया। एच0एस0एन0कोड नोटिफाइड नहीं है। अतः इसका कर की अनुसूची से कोई सम्बन्ध नहीं है। दिनांक 24-3-08 को धारा-59 के अर्न्तगत पारित आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है अतः आदेश में कोई संशोधन वांछित नहीं है । सीमेन्ट कंकरीट टाइल्स /बिक्स पर अनुसूची-5 के अन्तर्गत12.5प्रतिशत की दर से कर देयता है।

4- प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

5- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय।

दिनांक :: 18,जुलाई,2008

वै० स० ग्र ड-I
प्रमाणित प्रतिलिपि
वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ

ह0 18.7.08

(दीपक कुमार)

कमिश्नर वाणिज्य कर ,

उत्तर प्रदेश,लखनऊ।